

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 03 दिसम्बर 2013

विषय-तृतीय राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय) उ०प्र० की संस्तुति के अनुसार नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र की स्थापना हेतु क्रय की गई भूमि पर भवन निर्माण कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया शासन के पत्र संख्या 1095 / नौ-9-12-74ज / 11 दिनांक 04 जुलाई, 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से तृतीय राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय) उ०प्र० की संस्तुति के अनुसार नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र की स्थापना हेतु जनपद लखनऊ में गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में लखनऊ विकास प्राधिकरण से क्रय की गई भूमि की लागत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2012-13 में संक्रमित धनराशि से किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

2. उक्त क्रय की गई भूमि पर भवन निर्माण कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था सी० एण्ड डी०एस० द्वारा तैयार किया गया रू० 6600.60 लाख का प्रारम्भिक आगणन आपके पत्र संख्या एक / 69 / 86-05-06 दिनांक 16 सितम्बर, 2013 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया गया है। व्यय वित्त समिति द्वारा प्रायोजना की प्रस्तावित लागत रू० 6600.00 लाख के सापेक्ष संशोधित लागत रू० 6432.03 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.11.2013 का कार्यवृत्त संशोधित आगणन सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

3. राज्य स्तर पर नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र की स्थापना, जिसमें भूमि का क्रय व भवन निर्माण सम्मिलित है, हेतु सभी नगरीय निकायों के लिये

स्वीकृत संक्रमण की राशि से प्रश्नगत भवन का निर्माण कराया जाना है, जिसके लिये आपके पत्र संख्या एक/82/86-05-06 दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेशान्तर्गत नगरीय निकायों को तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में संक्रमित धनराशि से उक्त भवन के निर्माण हेतु रू0 5.00 करोड़ की धनराशि संरक्षित की गई है।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उक्त संक्रमित धनराशि से नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र की स्थापना हेतु कय की गई भूमि पर संलग्न आगणन के अनुसार भवन निर्माण तत्काल प्रारम्भ कराया जाय:

- प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जायेगा।
- प्रायोजना का वित्त पोषण राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार निकायों को प्राप्त होने वाली धनराशि से किया जायेगा और प्रायोजना का रख-रखाव तथा समस्त आवर्तक व्यय भी इसी डिवोल्यूशन की धनराशि से किया जायेगा।
- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित ड्राइंग/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन कर लिया गया है तथा इस विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूर्ण कर स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।
- प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन, जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत किये जाने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर पुनः शासन का

अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,


(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निदेशक, सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र०, लखनऊ।
2. राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ, उ०प्र० लखनऊ।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,


2/12/20
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।
६

रागिनी सिंह,
निदेशक,



दूरभाष: 2237604 (का०)

अ०शा०प०सं०-२४५/प्रा०र०मू०प्र०/१३

व्यय वित्त समिति सचिवालय
(प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग)
राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश
- 628, योजना भवन, लखनऊ।

दिनांक : २६ नवम्बर, 2013

आदरणीय महोदय,

व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 22-11-2013 का कार्यवृत्त आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। कृपया वांछित कार्यवाही शीघ्र कराने का कष्ट करें।

सादर,

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(रागिनी सिंह)

कोड 20 / 22-11-2013 / (13-14)

व्यय वित्त समिति की बैठक

(दिनांक 22-11-2013)

कार्यवृत्त

(कुल पृष्ठ संख्या-60)

व्यय वित्त समिति सचिवालय
(प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग)
राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश,
छठा तल, योजना भवन, लखनऊ।
(नवम्बर-2013)

3- प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

4- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(कार्यवाही: नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन)

6- जनपद लखनऊ में नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र के निर्माण का प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू0 6600.60 लाख)।

निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रायोजना को समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा जनपद लखनऊ में नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र के निर्माण का प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू0 6600.00 लाख) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ सन्दर्भित किया गया है। प्रायोजना प्रस्ताव का गठन सी0 एण्ड डी0 एस0, जल निगम उ0प्र0 द्वारा किया गया है। प्रभाग द्वारा प्रायोजना की प्रस्तावित रू0 6600.60 लाख के सापेक्ष लागत रू0 6182.31 लाख आंकलित की गई है।

तारीख

15/60

3

प्रशासकीय विभाग द्वारा समिति के समक्ष प्रायोजना की आवश्यकता एवं औचित्य के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि नगर निकायों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को 01 वर्ष में कम से कम 02 बार सेवाकालीन विशेष प्रशिक्षण दिया जाना है, जिससे उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि हो सके। वर्तमान में प्रशिक्षण का कुछ सीमित कार्य भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित क्षेत्रीय नगरीय एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र द्वारा किया जाता है। यह केन्द्र उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों को सीमित प्रशिक्षण दिये जाने के अतिरिक्त 06 अन्य राज्यों यथा- उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार व उड़ीसा के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देता है। इस प्रकार यह केन्द्र उ0प्र0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के पूरे दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु तृतीय राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय) उ0प्र0 की संस्तुति संख्या-272 के अनुसार राज्य स्तर पर नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

प्रशासकीय विभाग द्वारा समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र का निर्माण राष्ट्रीय स्तर का कराया जाना प्रस्तावित है क्योंकि यहाँ पर प्रशिक्षण हेतु उ0प्र0 राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के प्रतिनिधि यथा-मेयर, पार्षद, अध्यक्ष, नगर आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी प्रशिक्षण लेने हेतु आयेंगे। अतः राष्ट्रीय स्तर के भवन निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 1-8-2013 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरों में उच्च अनावासीय श्रेणी की दरों का प्रावधान करते हुए लागत प्रस्तावित की गई थी, परन्तु प्रभाग द्वारा मध्य अनावासीय श्रेणी की दरों को लगाते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। राष्ट्रीय स्तर का भवन निर्माण होने के कारण उच्च अनावासीय श्रेणी की दरों को अनुमन्य करने हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा समिति से अनुरोध किया गया, जिस पर समिति द्वारा मात्र प्रशासकीय भवन हेतु उच्च अनावासीय श्रेणी की दरों को अनुमन्य

तबिर

3


करने पर राहमति व्यक्त करते हुए तदनुसार लागत आंकलित किये जाने के निर्देश दिये गये।

समिति द्वारा टाइप-1 के आवासों को हटाते हुए लागत को पुनः आंकलित किये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त के अतिरिक्त समिति द्वारा हास्टल के प्रत्येक कक्ष हेतु 2 टन स्प्लिट ए0सी0 के स्थान पर 1.5 स्प्लिट ए0सी0 का प्रावधान अनुमन्य किये जाने के भी निर्देश दिये गये।

प्रायोजना के वित्त पोषण के सम्बन्ध में समिति की अपेक्षा पर प्रशासकीय विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि राज्य वित्त आयोग से सभी नगरीय निकायों को मिलने वाली डिवोल्यूशन की धनराशि में से किया जाना प्रस्तावित है और प्रायोजना का रख-रखाव/आवर्तक व्यय भी इसी डिवोल्यूशन फण्ड से ही किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय से डिवोल्यूशन की धनराशि से ही भूमि के क्रय हेतु रू0 21.00 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, भूमि पर कब्जा भी प्राप्त हो चुका है।

सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा प्रायोजना को प्रस्तावित लागत रू0 6600.60 लाख के सापेक्ष संशोधित लागत रू0 6432.03 लाख (संलग्नक-2) पर अनुमोदित करते हुए निम्न निर्देश दिये गये :-

- 1- प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 2- प्रायोजना का वित्त पोषण राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार निकायों को प्राप्त होने वाली धनराशि से किया जाय और उक्त प्रायोजना का रख-रखाव तथा समस्त आवर्तक व्यय भी इस डिवोल्यूशन की धनराशि से किया जाये।
- 3- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।





- 4- प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्ति एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 5- प्रशासकीय विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित ड्राइंग/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन कर लिया गया है तथा इस विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा यह भी अपेक्षा की गई कि प्रशासकीय विभाग एवं कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाय।
- 6- प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
- 7- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।



(कार्यवाही: नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन)



जनपद लखनऊ में नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र के अनावासीय एवं आवासीय भवनों के निर्माण का संशोधित लागत विश्लेषण

लागत रू० लाख में

क्र.सं.	मद का नाम	इकाई	प्रस्तावित लागत (दिनांक 01-08-2013 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर)			प्रभाग द्वारा आंकलित लागत (दिनांक 01-08-2013 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर)		
			मात्रा	दर	लागत	मात्रा	दर	लागत
I	नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र (फ्रेन्ड स्ट्रक्चर)							
1	बेसमेन्ट	वर्गमी	3049.06	18000.00	548.83	रू०सं०-8 पर		
2	भूतल	वर्गमी	3142.10	14000.00	439.89	3142.10	14000.00	439.89
3	प्रथम तल	वर्गमी	2420.42	14000.00	338.86	2420.42	14000.00	338.86
4	द्वितीय तल	वर्गमी	2849.27	14000.00	398.90	2849.27	14000.00	398.90
5	तृतीय तल	वर्गमी	2849.27	14000.00	398.90	2849.27	14000.00	398.90
6	चतुर्थ तल	वर्गमी	2849.27	14000.00	398.90	2849.27	14000.00	398.90
7	पंचम तल		1746.92	14000.00	244.57	1746.92	14000.00	244.57
	योग		18906.31		2768.85	18906.31		2768.85
8	बेसमेन्ट	वर्गमी				3049.06	18000.00	548.83
	योग				2768.85	18906.31		2768.85
9	राफ्ट फाउण्डेशन	वर्गमी	3049.06	1700.00	51.83	मुदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर देय		
10	बेसमेन्ट हेतु अतिरिक्त ऊँचाई (3.50-3.35=0.15मी०)	वर्गमी	3049.06	750.00	22.87	3049.06	750.00	22.87
11	छत की अतिरिक्त ऊँचाई भूतल से प्रथम तल तक (4.20-2.90=1.20 मी०)	वर्गमी	15857.25	2383.15	377.90	18906.31	2383.15	450.57
12	भूतल पर आडीटोरियम हेतु अतिरिक्त ऊँचाई (8.40-2.90=5.50 मी०)	वर्गमी	651.01	10083.15	65.64	651.01	10083.33	65.64
13	आन्तरिक स्थल विकास	लाख	548.83	5%	27.44	0.00	5%	0.00
14	आन्तरिक विद्युतीकरण	लाख	2768.85	12.5%	346.11	2768.85	12.5%	346.11
15	पावर वायरिंग	लाख	2768.85	4%	110.75	2220.02	4%	88.80
16	कापर वायरिंग	लाख	2768.85	0.5%	13.84	कुर्सी क्षेत्रफल दरों में सम्मिलित		
17	आन्तरिक जलमल कार्य	लाख	2768.85	4%	110.75	2220.02	5%	111.00
18	वाह्य जलमल कार्य	लाख	2768.85	5%	138.44	2220.02	5%	111.00
19	आटोमेटिक फायर एलार्म सिस्टम स्मॉकर सिस्टम	वर्गमी	18906.31	1250.00	236.33	18906.31	1750.00	330.86
20	सीटिंग अरेन्जमेन्ट हेतु (स्लोपी बेस का निर्माण)				27.15			27.15
21	आडीटोरियम हेतु (बुडन फ्लोरिंग स्काटिकल फाल्स सीलिंग, एकास्टिकल वाल पैनलिंग) का कार्य				121.84			121.84
22	लाइटिंग कन्डक्टर		2768.85	0.5%	13.84	2220.02	0.5%	11.10
23	सेन्ट्रल एयर कन्डीशनिंग	टन	148.42	95000.00	141.00	148.42	95000.00	141.00
	योग				4574.60			4596.79
24	आकस्मिक व्यय	लाख	4574.60	2%	91.49	4596.79	2%	91.94
	योग				4666.09			4688.72
II	हास्टल ब्लॉक							
25	भूतल (14 कक्ष)	वर्गमी	879.36	13300.00	116.95	879.36	12700.00	111.68
26	प्रथम तल (14 कक्ष)	वर्गमी	739.76	13300.00	98.39	739.76	12700.00	93.95

27	द्वितीय तल (18कक्ष)	वर्गमी	720.76	13300.00	98.39	739.76	12700.00	93.95
28	तृतीय तल (14 कक्ष)	वर्गमी	576.76	13300.00	76.71	576.76	12700.00	73.25
	योग		2935.64		390.44	2935.64		372.83
29	छत की अतिरिक्त ऊँचाई (3.20-2.90 = 0.30 मी०)	वर्गमी	2935.64	550.00	16.15	2935.64	550.00	16.15
30	दीमकरोधी उपचार	वर्गमी	879.36	240.00	2.11	879.36	240.00	2.11
31	भूकम्परोधी उपचार	वर्गमी	2935.64	1050.00	30.82		जोन-III हेतु अलग से अनुमत्य नहीं	
32	आंतरिक जलमल कार्य	लाख	390.44	15%	58.57	372.83	15%	55.92
33	वाह्य जलमल कार्य	लाख	390.44	5%	19.52	372.83	5%	18.64
34	आन्तरिक विद्युतीकरण	लाख	390.44	12.5%	48.81	372.83	12.5%	46.60
35	आन्तरिक स्थल विकास	लाख	116.95	5%	5.85	111.68	5%	5.58
36	फायर फाइटिंग हेतु एलार्म सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम एवं वेटराइजर सिस्टम,	वर्गमी	2935.64	1250.00	36.70	2935.64	1750.00	51.37
37	पावर वायरिंग	लाख	390.44	4%	15.62		कुर्सी क्षेत्रफल दरों में सम्मिलित	
38	कम्प्यूटर वायरिंग	लाख	390.44	0.5%	1.95		अनुमत्य नहीं	
39	अलमीरा/कप बोर्ड	वर्गमी	378	5000.00	18.90	378	5000.00	18.90
40	स्लिट ए०सी० (2 टन)	सं०	60.00	65000.00	39.00		कम सं०-130 पर	
	योग				664.43			588.11
41	आकस्मिक व्यय	लाख	684.43	2%	13.69	588.11	2%	11.76
	योग				698.12			599.88
III	टाइप-5 आवास 1 अदद							
42	भूतल	वर्गमी	225.40	11600.00	26.15	225.40	11600.00	26.15
	योग		225.40		26.15	225.40		26.15
43	छत की अतिरिक्त ऊँचाई (3.20-2.90=0.30 मी०)	वर्गमी	225.40	386.57	0.87	225.40	386.57	0.87
44	दीमकरोधी उपचार	वर्गमी	225.40	220.00	0.50	225.40	220.00	0.50
45	आन्तरिक विद्युतीकरण	लाख	26.15	12.5%	3.27	26.15	12.5%	3.27
46	टेलीफोन वायरिंग		26.15	1.0%	0.26		अनुमत्य नहीं	
47	कम्प्यूटर वायरिंग	लाख	26.15	0.5%	0.13		अनुमत्य नहीं	
48	आंतरिक जलमल कार्य	लाख	26.15	12%	3.14	26.15	12%	3.14
49	वाह्य जलमल कार्य	लाख	26.15	5%	1.31	26.15	5%	1.31
50	भूकम्परोधी उपचार	वर्गमी	225.40	350.00	0.79		जोन-III हेतु अलग से अनुमत्य नहीं	
51	आन्तरिक स्थल विकास	लाख	26.15	5%	1.31	26.15	5%	1.31
52	वाह्य स्थल विकास	लाख	26.15	5%	1.31	26.15	5%	1.31
53	बाउण्ड्रीवाल	सं०मी०	73.00	7530.45	5.50	73.00	7530.45	5.50
54	एम०एस० गेट	न०	1.00	67978.88	0.68	1.00	67978.88	0.68
	योग				45.21			44.03
55	आकस्मिक व्यय	लाख	45.21	2%	0.90	44.03	2%	0.88
	योग				46.12			44.91
IV	टाइप-4 आवास 2 अदद							
56	भूतल	वर्गमी	357.00	11300.00	40.34	357.00	11300.00	40.34
	योग		357.00		40.34	357.00		40.34
57	छत की अतिरिक्त ऊँचाई (3.20-2.90=0.30 मी०)	वर्गमी	357.00	386.57	1.38	357.00	386.57	1.38
58	दीमकरोधी उपचार	वर्गमी	357.00	220.00	0.79	357.00	220.00	0.79
59	आन्तरिक विद्युतीकरण	लाख	40.34	12.5%	5.04	40.34	12.5%	5.04
60	पावर वायरिंग		40.34	4.0%	1.61		अनुमत्य नहीं	

	कम्प्यूटर वायरिंग	लाख	40.34	0.5%	0.20	अनुमन्य नहीं		
	आंतरिक जलमल कार्य	लाख	40.34	12%	4.84	40.34	12%	4.84
63	वाह्य जलमल कार्य	लाख	40.34	5%	2.02	40.34	5%	2.02
64	भूकम्परोधी उपचार	वर्गमी	357.00	350.00	1.25	जोन-III हेतु अलग से अनुमन्य नहीं		
65	आन्तरिक स्थल विकास	लाख	40.34	5%	2.02	40.34	5%	2.02
66	बाउण्ड्रीवाल	रमी0	36.65	7530.45	2.76	36.65	7530.45	2.76
67	एम0एस0 गेट	न0	1.00	10000.00	0.10	1.00	10000.00	0.10
	योग				62.35			59.29
68	आकस्मिक व्यय	लाख	62.35	2%	1.25	59.29	2%	1.19
	योग				63.60			60.47
V	टाइप-3 आवास 4 अदद							
69	भूतल	वर्गमी	173.00	10600.00	18.34	173.00	10600.00	18.34
70	प्रथम तल	वर्गमी	173.00	10100.00	17.47	173.00	10100.00	17.47
	योग		346.00		35.81	346.00		35.81
71	छत की अतिरिक्त ऊँचाई (3.00-2.90=0.10 मी0)	वर्गमी	346.00	96.57	0.33	346.00	96.57	0.33
72	दीमकरोधी उपचार	वर्गमी	173.00	220.00	0.38	173.00	220.00	0.38
73	आन्तरिक विद्युतीकरण	लाख	35.81	12.5%	4.48	35.81	12.5%	4.48
74	आंतरिक जलमल कार्य	लाख	35.81	12%	4.30	35.81	12%	4.30
75	वाह्य जलमल कार्य	लाख	35.81	5%	1.79	35.81	5%	1.79
76	भूकम्परोधी उपचार	वर्गमी	346.00	350.00	1.21	जोन-III हेतु अलग से अनुमन्य नहीं		
77	आन्तरिक स्थल विकास	लाख	18.34	5%	0.92	18.34	5%	0.92
	योग				49.21			48.00
78	आकस्मिक व्यय	लाख	49.21	2%	0.98	48.00	2%	0.96
	योग				50.20			48.96
VI	टाइप-1 आवास 6 अदद							
79	भूतल	वर्गमी	151.80	10600.00	16.09	व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में अनुमन्य नहीं किया गया।		
80	प्रथम तल	वर्गमी	83.40	10100.00	8.42			
	योग		235.20		24.51			
81	छत की अतिरिक्त ऊँचाई (3.00-2.90=0.10 मी0)	वर्गमी	235.20	96.57	0.23			
82	दीमकरोधी उपचार	वर्गमी	151.80	220.00	0.33			
83	आन्तरिक विद्युतीकरण	लाख	24.51	12.5%	3.06			
84	आंतरिक जलमल कार्य	लाख	24.51	12%	2.94			
85	वाह्य जलमल कार्य	लाख	24.51	5%	1.23			
86	भूकम्परोधी उपचार	वर्गमी	235.20	350.00	0.82			
87	आन्तरिक स्थल विकास	लाख	16.09	5%	0.80			
	योग				33.92			0.00
88	आकस्मिक व्यय	लाख	33.92	2%	0.68	0.00		0.00
	योग				34.60			0.00
VII	गार्ड रूम (लोड वियरिंग)							
89	भूतल	वर्गमी	20.00	7300.00	1.46	20.00	7300.00	1.46
	योग		20.00		1.46	20.00		1.46
90	छत की अतिरिक्त ऊँचाई (3.00-2.90=0.10 मी0)	वर्गमी	20.00	96.57	0.02	20.00	96.57	0.02
91	दीमकरोधी उपचार	वर्गमी	20.00	220.00	0.04	20.00	220.00	0.04
92	भूकम्परोधी उपचार	वर्गमी	20.00	350.00	0.07	जोन-III हेतु अलग से अनुमन्य नहीं		

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

93	आन्तरिक स्थल विकास	लाख	1.46	5%	0.07	1.46	5%	0.07
94	आन्तरिक विद्युतीकरण	लाख	1.46	12.5%	0.18	1.46	12.5%	0.18
	योग				1.85			1.78
95	आकस्मिक व्यय	लाख	1.85	2%	0.04	1.78	2%	0.04
	योग				1.88			1.81
VIII	सब स्टेशन							
96	भूतल	वर्गमी	66.95	12700.00	8.50	66.95	12700.00	8.50
	योग		66.95		8.50	66.95		8.50
97	डी0जी0 रुम हेतु छत की अतिरिक्त ऊँचाई (4.55-2.90=1.65 मी0)	वर्गमी	28.50	3025.00	0.86	28.50	3025.00	0.86
98	भवन हेतु छत की अतिरिक्त ऊँचाई (3.60-2.90=0.70)	वर्गमी	38.45	1283.15	0.49	38.45	1283.15	0.49
99	दीनकरोधी उपचार	वर्गमी	66.95	220.00	0.15	66.95	220.00	0.15
100	भूकम्परोधी उपचार	वर्गमी	66.95	1050.00	0.70		जोन-III हेतु अलग से अनुमत्य नहीं	
101	पावर वायरिंग	लाख	8.50	4%	0.34	8.50	4%	0.34
102	कापर वायरिंग एवं माइयूलर स्वीच	लाख	8.50	1%	0.09			
103	एम0एस0 गेट-2.40 एम0टी0X2.10 =5.04 व0मी0X60 के0जी0	केजी	302.40	65.00	0.20	302.40	65.00	0.20
104	बाउण्ड्रीवाल	र0मी0			1.59			1.59
105	आन्तरिक स्थल विकास	लाख	8.50	5%	0.43	8.50	5%	0.43
106	आन्तरिक विद्युतीकरण	लाख	8.50	12.5%	1.06	8.50	12.5%	1.06
	योग				14.40			13.62
107	आकस्मिक व्यय	लाख	14.40	2%	0.29	13.62	2%	0.27
	योग				14.69			13.89
IX	अन्य विविध कार्य							
108	बाउण्ड्रीवाल	र0मी0	475.71	7530.45	35.82	475.71	7530.45	35.82
109	गेट	न0	2	67978.88	1.36	2	67978.88	1.36
110	कैटल कैचर	न0	2	34999.07	0.70	2	34999.07	0.70
111	बोरिंग एवं पम्प	न0			11.23			11.23
112	एम0एस0 पोल सहित सोडियम बेपर लाइट	न0	40	48065.00	19.23	40	48065.00	19.23
113	बिटुमिन रोड/ पार्किंग	व0मी0	3182.08	1885.15	59.99	3182.08	1250.00	39.78
114	इण्टरलाकिंग पाथवे	व0मी0	904.48	1537.34	13.90	904.48	1537.34	13.90
115	ओपेन सरफेस ड्रेन	र0मी0	1461.08	1838.63	26.86	1461.08	1838.63	26.86
116	रेनवाटर हारवैस्टिंग	न0	3	587230.73	17.62	3	500000	15.00
117	यू0टी0 टैंक एवं पम्प रुम	व0मी0			24.72			24.72
118	100 कि0ली0 ओ0एच0टी0	ली0	100000	35	35.00	100000	22	22.00
119	लैण्ड स्केपिंग	व0मी0	10392	47.00	4.88		L.S.	1.00
	योग				251.31			211.60
	कुल योग				5826.60			5670.25
120	5 प्रतिशत की कमी	लाख	5826.60	-5%	-291.33	5670.25	-5%	-283.51
	योग				5535.27			5386.73
121	सेन्टेज चार्ज	लाख	5535.27	12.5%	691.91	5386.73	12.5%	673.34
	योग				6227.18			6060.08
122	लेबर सेस	लाख	5535.27	1%	55.35	5386.73	1%	53.87
123	वाह्य विद्युत संयोजन	लाख			20.00			20.00

124	एच0बी0 पैनल, ट्रांसफार्मर एवं डी0जी0 सेट				39.34			39.34
125	लिफ्ट							
126	16 पैसेन्जर (जी+6)	सं०	3.00	3100000	93.00	3.00	3100000	93.00
127	8 पैसेन्जर (जी+6)	सं०	1.00	2050000	20.50	1.00	2050000	20.50
128	8 पैसेन्जर (जी+4)	सं०	2.00	1800000.00	36.00	2.00	1800000.00	36.00
129	आडीटोरियम हेतु साउण्ड/ लाइटनिंग सिस्टम एवं फर्नीचर				109.08			84.05
130	स्प्लिट ए0सी0 (1.5 टन)	सं०		कम सं०-40 पर		60.00	42000.00	25.20
	प्रायोजना की कुल लागत				6600.60			6432.03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]